

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या – डी.ई. 25(13)/401/एल.डब्ल्यू./2021-22/2816-2817

दिनांक – 22.03.2022

सेवा में,

श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।

विषय— विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या – 10, दिनांक – 24.03.2022 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या – 10 (100 प्रतियाँ), जो कि दिनांक-24.03.2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय




(अशोक कुमार)
उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)
ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054

संख्या – डी.ई. 25(13)/401/एल.डब्ल्यू./2021-22/2816-2817

दिनांक – 22.03.2022

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 को 150 प्रतियाँ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।



(नीरज छतवाल)
अनुभाग अधिकारी (विधायी कार्य शाखा)

Section Officer
(L.W. Branch)
Dte. of Education
Old Sectt., Delhi-110054

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 10

दिनांक :- 24.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री विजेंद्र गुप्ता

क्या माननीय उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली सरकार द्वारा प्राईवेट स्कूलों में डेवलपमेंट तथा एनुअल चार्ज का आंकलन किस आधार पर किया जाता है;	शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश संख्या- एफ. डीई/15(56)/एक्ट/2009/778, दिनांक-11.02.2009 के तहत प्राईवेट स्कूलों में डेवलपमेंट तथा एनुअल चार्ज से संबंधित मापदण्ड निम्नलिखित है :-
ख)	क्या इससे संबंधित कोई मापदंड बनाए गए हैं;	<ul style="list-style-type: none">विकास शुल्क, कुल वार्षिक शिक्षण शुल्क के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जा सकता है। <p>कोई वार्षिक शुल्क तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वे सभी राजस्व व्यय को कवर करने के लिए प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं, जो शिक्षण शुल्क और 'ओवरहेड' और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों पर खर्च में शामिल नहीं है। स्कूल फीस बढ़ाने से पहले निदेशक (शिक्षा) की अनुमति लेना अनिवार्य है।</p>
ग)	यदि हां, तो इन मापदंडों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर क्या कार्रवाई की गई जानकारी उपलब्ध कराएं;	इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एण्ड रूल्स, 1973 के तहत उचित कार्यवाही की जाती है।
घ)	किसी भी प्राईवेट स्कूल का फीस स्ट्रक्चर किस आधार पर बनाया जाता है तथा डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्ज, बिल्डिंग फंड, ट्रांसपोर्ट चार्ज किस आधार पर लिया जा सकता है तथा हर साल कितना इन्क्रीज किया जा सकता है; और	किसी भी प्राईवेट स्कूल का फीस स्ट्रक्चर उसी स्कूल प्रबंधन द्वारा बनाया जाता है। डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्ज, बिल्डिंग फंड, ट्रांसपोर्ट चार्ज उपरोक्त क्रम संख्या (क) के अनुसार लिया जा सकता है। हर स्कूल की फीस इन्क्रीज की आवश्यकता अलग-अलग है, जो स्कूल डी.डी.ए./सरकारी भूमि पर स्थापित है और उनकी लीज-डीड में क्लॉज है उनको स्कूल फीस बढ़ाने से पहले निदेशक (शिक्षा) की अनुमति लेना अनिवार्य है।
ड)	क्या कोई स्कूल एडमिशन लेने वाले बच्चों से ट्रस्ट या स्कूल के नाम पर डोनेशन ले सकता है, यदि हां, तो कृपया जानकारी उपलब्ध कराएं?	जी नहीं।

AS

ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054